



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 747]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2017/भाद्र 10, 1939

No. 747]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2017/BHADRA 10, 1939

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 1125 (अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 की उप धारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 10 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें तथा निबंधन), नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **नियुक्ति प्राधिकारी** - ब्यूरो के समग्र नियंत्रण के अधीन, -

(क) ब्यूरो में पदों पर प्रत्येक नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह 'क' और समूह 'ख' पदों के समतुल्य सिवाए उनके जिन्हें ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 9 की उपधारा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है, ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा की जाएंगी; और

(ख) ब्यूरो में पदों पर केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह 'ग' के समतुल्य पदों पर प्रत्येक नियुक्ति ब्यूरो के सचिव द्वारा की जाएंगी।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** :- भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. प्रारंभिक गठन :- (1) इन नियमों के प्रारंभ से पहले नियुक्त ब्यूरो के प्रत्येक कर्मचारी इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को या इन नियमों के उपबंधों के अधीन उसी पद पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे जिस पद पर वे ज्येष्ठता, प्रोन्नति और सेवा की अन्य शर्तों और निबंधनों के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले धारण किए हुए थे:

परन्तु यह कि तत्कालीन ऊर्जा प्रबंध केन्द्र के कर्मचारियों को तब तक केन्द्र के उपविधि में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों द्वारा विनियमित किया जाएगा जब तक कि वे इन नियमों द्वारा विनियमित किए जाने का विकल्प नहीं देते:

परन्तु यह और भी कि एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

(2) ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति के आधार पर, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी, पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिस पद पर वह पांच वर्ष से अन्यून अवधि की सेवा पूरी कर ली है, उक्त पद पर आमेसन के लिए विभागीय चयन समिति द्वारा उसकी वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट के आधार पर उसकी उपयुक्तता निर्धारण किए जाने के अधीन रहते हुए विचार किया जाएगा और ऐसे आमेसन का अनुकरण करने के पश्चात् प्रतिनियुक्ति पर या अल्पकालिक संविदा के आधार पर उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमित आधार पर उस पद पर चयन की उचित प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद, जैसा भी मामला हो, नियुक्त किया जाएगा।

6. निरहता:- (1) वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(2) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति ब्यूरो में नियुक्ति से पहले प्ररूप-I में घोषणा करेगा।

7. नियुक्ति प्रक्रिया - (1) किसी भी व्यक्ति को ब्यूरो में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह -

(क) भारत का नागरिक न हो या ऐसी श्रेणी के अंतर्गत आता है जो केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र न हो;

(ख) ब्यूरो में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची में सम्मिलित रजिस्ट्रीकृत ऐसे चिकित्सा व्यवसायी से जिनके पास बैचलर ऑफ मैडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी के समतुल्य चिकित्सा अर्हता हो प्ररूप II में चिकित्सक दृष्टिया योग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किया हो;

(ग) चिकित्सीय परीक्षा के समय चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा व्यवसायी की उपस्थिति में प्ररूप III में कथन प्रस्तुत किया हो और उस पर हस्ताक्षर न किया हो :

परन्तु यह कि ऐसे नियोजित अभ्यर्थी के लिए या जिनकी तीन मास से अनधिक अवधि के लिए अस्थाई हैसियत में नियोजित होने की संभावना हो, चिकित्सक दृष्टिया योग्यता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी; और

(घ) प्ररूप IV में राजनिष्ठा की शपथ न ली हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी का स्वयं यह समाधान जाता है कि ब्यूरो में पहली नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी के चरित्र और पूर्ववृत्त ऐसे हैं कि उनसे वह केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त नहीं है।

8. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

9. रिक्तियों का विज्ञापन - (1) ब्यूरो के पदों पर सभी नियुक्तियां रोजगार समाचार और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में सम्यक विज्ञापन के पश्चात् ही की जाएंगी।

(2) इन नियमों के अधीन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

10. आवेदन के लिए प्ररूप और शर्तें :- ब्यूरो विज्ञापन में प्ररूप विनिर्दिष्ट करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे, साथ ही, दस्तावेज एवं प्रमाणपत्र और उन्हें प्रस्तुत करने की पद्धति और आवेदन प्राप्त करने के लिए अभिहित अधिकारी भी निर्दिष्ट करेगा।

11. आवेदन का प्रसंस्करण :- ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा गठित संबंधित छानबीन समिति प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी और आगे प्रसंस्करण के लिए पद की अपेक्षाओं के आधार पर अभ्यर्थियों की छंटनी कर सकती है।

12. चयन की पद्धति :- चयन समिति छांटे गए अभ्यर्थियों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के आधार पर अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगी।

13. ज्येष्ठता :- कर्मचारियों के बीच ज्येष्ठता समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार होगी।

14. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा ब्यूरो से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निदेशक के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट ऊर्जा अर्थशास्त्री	*10 (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' के समतुल्य अननुसचिवीय, तकनीकी अराजपत्रित	स्तर -13 (118500 - 214100 रु.)	चयन	पचास वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों सहित सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या रसायन विज्ञान या ऊर्जा योजना और अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में बैचलर डिग्री;</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800 – 209200 रु.) में (पूर्व पुनरीक्षित वेतन बैंड -3 में 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए में) समूह 'क' पद में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) किसी सरकारी विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700 – 208700 रु.) में (पूर्व पुनरीक्षित वेतन बैंड 3 में 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए में) समूह 'क' सरकारी विभागों में समतुल्य पद में दस वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iv) अनुसंधान संस्थानों, सरकारी विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकाय या किसी सांविधिक निकाय या किसी औद्योगिक या विकास या डिजाइन संगठन में नीतियों या कार्यक्रमों के विनिर्माता या कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित में कम से कम पंद्रह वर्ष का पश्च अर्हता अनुभव -</p> <p>(क) ऊर्जा और इसके संरक्षण के दक्ष उपयोग;</p> <p>(ख) ऊर्जा लेखा परीक्षा या ऊर्जा प्रबंधन क्षमताओं का सुदृढीकरण;</p> <p>(ग) औद्योगिक या वाणिज्यिक संगठन में ऊर्जा की खपत की बेंच मार्किंग;</p> <p>(घ) उपकरणों या उपस्करों के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम;</p> <p>(ङ) ऊर्जा सेवा कंपनियों के साथ विकास या संवर्धन या कार्यकरण;</p> <p>(च) औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या संगठनों में ऊर्जा दक्षता को अपनाने के लिए नवीन वित्तीय तंत्र।</p> <p>टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या ऊर्जा योजना और अर्थशास्त्र में डाक्टरेट डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या व्यवसाय प्रबंधन / प्रशासन या औद्योगिक या प्रणाली प्रबंधन में मास्टर डिग्री;</p>	<p>आयु – नहीं ; शैक्षिक अर्हता – हां।</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है या सीधी भर्ती द्वारा।</p>

<p>(ii) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा के आधार पर ऊर्जा प्रबन्धक अथवा ऊर्जा लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र अथवा प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षक के रूप में प्रत्यायन प्राप्त;</p> <p>(iii) राष्ट्रीय ऊर्जा की समस्याओं और ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार की नीतियों के सभी परिप्रेक्ष्य और देश में ऊर्जा दक्षता का संरक्षण और उसका प्रोत्साहन।</p>			
---	--	--	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय चयन समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : ब्यूरो में संयुक्त निदेशक की श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800 – 209200 रु.) (पुनरीक्षित ग्रेड वेतन 7600 रुपए) में पांच वर्ष सेवा की है। टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन : (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या सरकारी अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या सरकारी संगठनों या सांविधिक निकायों के ऐसे अधिकारी,- (i) जो मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800 – 209200 रु.) (पुनरीक्षित वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए</p>	<p>विभागीय चयन समिति (प्रोन्नति या नियुक्ति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - (1) महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो..... अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव (ऊर्जा संरक्षण), विद्युत मंत्रालय सदस्य; (3) कुलपति, ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ...सदस्य ।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

<p>में) के पदों में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700 – 208700 रु.) में (पुनरीक्षित वेतन बैंड 3 में 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए में) के पदों में दस वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हता हो।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और कम-से-कम तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अधिकारी ब्यूरो में आमेलन के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होगा।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>2. संयुक्त निदेशक के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट सहायक ऊर्जा अर्थशास्त्री।</p>	<p>7 (2017)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	<p>केंद्रीय सरकार में समूह 'क' के समतुल्य अननुसचिवीय, तकनीकी अराजपत्रित ।</p>	<p>स्तर -12 (78800 – 209200 रु.)</p>	<p>लागू नहीं होता ।</p>	<p>पचास वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों सहित सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या रसायन विज्ञान या ऊर्जा योजना और अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री; या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में बैचलर डिग्री;</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700 – 208700 रु.) में (पूर्व पुनरीक्षित वेतन बैंड-3 में 15600–39100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए में) समूह 'क' पद में पांच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100 – 177500 रु.) में (पूर्व पुनरीक्षित वेतन बैंड 3 में 15600–39100 रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रुपए में) समूह 'क' पद में या सरकारी विभागों में समतुल्य पद में दस वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iv) अनुसंधान संस्थानों, सरकारी विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकाय या किसी सांविधिक निकाय या किसी औद्योगिक या विकास या डिजाइन संगठन में नीतियों या कार्यक्रमों के विनिर्माता या कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित में 10 वर्ष का पश्च अर्हता अनुभव -</p> <p>(क) ऊर्जा और इसके संरक्षण के दक्ष उपयोग;</p> <p>(ख) ऊर्जा लेखा परीक्षा या ऊर्जा प्रबंधन क्षमताओं का सुदृढीकरण;</p> <p>(ग) औद्योगिक या वाणिज्यिक संगठन में ऊर्जा की खपत की बेंच मार्किंग;</p> <p>(घ) उपकरणों या उपस्करों के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम;</p> <p>(ङ) ऊर्जा सेवा कंपनियों के साथ विकास या संवर्धन या कार्यक्रम;</p> <p>(च) औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या संगठनों में ऊर्जा दक्षता को अपनाने के लिए नवीन वित्तीय तंत्र।</p> <p>टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या व्यवसाय प्रबंधन / प्रशासन या औद्योगिक या प्रणाली प्रबंधन में मास्टर डिग्री;</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।</p>	<p>सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन।</p>

<p>(ii) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा के आधार पर ऊर्जा प्रबन्धक अथवा ऊर्जा लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र अथवा प्रत्यायित ऊर्जा लेखा परीक्षक के रूप में प्रत्यायन प्राप्त;</p> <p>(iii) मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या सांविधिक निकाय या किसी औद्योगिक या विकास संगठन में ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्रों में या पत्रिकाओं में प्रकाशित उच्च मानक में शोध प्रकाशनों के क्षेत्र में दो वर्षों के अनुसंधान का अनुभव; या/और</p> <p>(iv) राष्ट्रीय ऊर्जा की समस्याओं और ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार की नीतियों के सभी परिप्रेक्ष्य और देश में ऊर्जा दक्षता का संरक्षण और उसका प्रोत्साहन।</p>			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति : (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन :</p> <p>(क) केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या सरकारी अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या सरकारी संगठनों या सांविधिक निकायों के ऐसे अधिकारी,-</p> <p>(i) जो मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700 – 208700 रु.) (पूर्व पुनरीक्षित वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए में) के पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हता हो।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और कम-से-कम तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अधिकारी ब्यूरो में आमेलन के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होगा।</p>	<p>विभागीय चयन समिति (नियुक्ति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <p>(1) महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो..... अध्यक्ष;</p> <p>(2) संयुक्त सचिव (ऊर्जा संरक्षण), विद्युत मंत्रालय सदस्य;</p> <p>(3) कुलपति, ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) विश्वविद्यालय, नई दिल्ली . सदस्य ।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. जनसंपर्क या मीडिया मैनेजर।	1 (2017)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' के समतुल्य अननुसचिवीय, तकनीकी अराजपत्रित।	स्तर - 11 (67700 - 208700 रु.)	लागू नहीं होता।	चालीस वर्ष तक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों सहित सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : 1. जन सम्पर्क या संबंधित क्षेत्र में डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा; 2. किसी प्रतिष्ठित संगठन में जन सम्पर्क या मीडिया हैंडलिंग में पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन या सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन : (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सरकारी अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों या सांविधिक निकायों के ऐसे अधिकारी; (i) जो मूल काडर में नियमित आधार पर	विभागीय चयन समिति (नियुक्ति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - (1) महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो. अध्यक्ष; (2) निदेशक (ऊर्जा संरक्षण), विद्युत मंत्रालय सदस्य ; (3) निदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो सदस्य ;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

<p>सदृश पद धारण किए हुए है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100 - 177500 रु.) (पूर्व पुनरीक्षित वेतन बैंड-3 में 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रुपए में) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (53100 - 167800 रु.) (पूर्व पुनरीक्षित वेतन बैंड 2 में 9,300 - 34,800 रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रुपए में) के पद में छः वर्ष नियमित सेवा की है, और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हता हो।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और कम-से-कम तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अधिकारी ब्यूरो में आमेलन के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होगा।</p>	<p>(4) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सदस्य ।</p>	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>4. ज्येष्ठ निजी सचिव ।</p>	<p>1 (2017)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।</p>	<p>केन्द्रीय सरकार में समूह 'ख' के समतुल्य अराजपत्रित ।</p>	<p>स्तर - 8 (47600 - 151100 रु.) (चार वर्ष की नियमित सेवा के पश्चात् स्तर-9 (53100-167800 रु.)</p>	<p>लागू नहीं होता ।</p>	<p>तीस वर्ष तक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों सहित सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश</p>

					के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य; 2. आशुलिपि में गति - एक सौ बीस शब्द प्रति मिनट; 3. टंकण में गति - साठ शब्द प्रति मिनट; 4. कम्प्यूटर साक्षर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कुशल; 5. अधिकारियों के निजी कार्यालय के प्रबंधन में अनुभव; 6. कार्यालय प्रक्रियाओं, फाइल रखने, अभिलेख प्रबंधन और गोपनीय कागजात रखने का ज्ञान; 7. समय तय करने और यात्रा अनुसूची बनाने में अच्छी जानकारी; 8. आगंतुकों का स्वागत करने के लिए उत्तम पारस्परिक कौशल योग्यता; 9. एक टीम के रूप में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए; 10. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या संस्थान या संगठन में निजी सहायक या निजी सचिव के रूप में छह वर्ष का अनुभव होना चाहिए। <p>टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p>	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है या सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>ब्यूरो में निजी सचिव के पदधारण करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रु.) (पूर्व पुनरीक्षित ग्रेडवेतन 4600 रु.) में दो वर्ष सेवा की है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</p> <p>(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य</p>	<p>विभागीय चयन समिति (प्रोन्नति या नियुक्ति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो...अध्यक्ष; (2) निदेशक (ऊर्जा संरक्षण), विद्युत मंत्रालय सदस्य; (3) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो..... सदस्य; 	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

<p>क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या सरकारी अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या सरकारी संगठनों या सांविधिक निकायों के ऐसे अधिकारी,-</p> <p>(i) जो मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400 – 112400 रु.) (पूर्व पुनरीक्षित वेतन बैंड-2 में 9,300 – 34,800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए में) के पद में छह वर्ष नियमित सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900 – 142400 रु.) में (पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन 4600 रुपए) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विहित अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और उक्त अवधि के समाप्त होने पर उन्हें अपने मूल काडर में प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा। □</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. वित्त एवं लेखा अधिकारी।	1 (2017)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ख' के समतुल्य अराजपत्रित।	स्तर - 7 (44900 – 142400 रु.)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष तक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों सहित सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि

					वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में बैचलर डिग्री;</p> <p>(ii) कंप्यूटर या लेखा सॉफ्टवेयर में प्रवीणता; और</p> <p>(iii) एक पर्यवेक्षी क्षमता में नकदी और बजट कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) वित्त के साथ व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री या लागत एवं संकर्म लेखापाल या स्नातक डिग्री के साथ अधीनस्थ लेखा सेवा लेखाकार;</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार के नियमों और विनियमों का ज्ञान;</p> <p>(iii) केन्द्रीय सरकार की लेखा प्रक्रियाओं का ज्ञान जैसे बजट तैयार करने, आहरण और संवितरण, प्राप्तियों और संदाय, सांविधिक वसूलियां, उनके लेखांकन और वाणिज्यिक खातों का अच्छा ज्ञान।</p>	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है या सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>ब्यूरो में लेखापाल के पदधारण करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) (पुनरीक्षित</p>	<p>विभागीय चयन समिति (प्रोन्नति या नियुक्ति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <p>(1) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो..... अध्यक्ष;</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

<p>वेतन बैंड-2 9,300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.) में पांच वर्ष सेवा की है। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के या अधिमानतः ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा प्रबंधन या ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा लेखा परीक्षा से संबंधित संगठनों में कार्य करने वाले ऐसे अधिकारी, - (i) जो मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400 – 112400 रु.) (पूर्व पुनरीक्षित वेतन बैंड -2 में 9,300 – 34,800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए में) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विहित अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>(2) निदेशक या उप सचिव (वित्त), विद्युत मंत्रालय .. सदस्य;</p> <p>(3) अवर सचिव (ऊर्जा संरक्षण), विद्युत मंत्रालय सदस्य ।</p>	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. निजी सचिव ।	1 (2017)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ख' के समतुल्य अराजपत्रित ।	स्तर – 7 (44900–142400 रु.)	लागू नहीं होता ।	तीस वर्ष तक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों सहित सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री;</p> <p>(ii) आशुलिपि में गति - एक सौ बीस शब्द प्रति मिनट;</p> <p>(iii) टंकण में गति - साठ शब्द प्रति मिनट;</p> <p>(iv) कम्प्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दक्षता;</p>	लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है या सीधी भर्ती द्वारा ।

<p>(v) कार्यालय प्रक्रियाओं, फाइल रखने, अभिलेख प्रबंधन और गोपनीय कागजात को संभाल कर रखने का ज्ञान;</p> <p>(vi) समय तय करने और यात्रा अनुसूची बनाने की अच्छी जानकारी;</p> <p>(vii) आगंतुकों का स्वागत करने के लिए उत्तम पारस्परिक कौशल, योग्यता; और</p> <p>(viii) एक टीम के रूप में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए।</p> <p>टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>वांछनीय : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संस्थाओं या संगठनों में ज्येष्ठ अधिकारियों के साथ निजी सहायक या सचिव के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।</p>			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: ब्यूरो में आशुलिपिक के पदधारण करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) (पुनरीक्षित वेतन बैंड-2 में 9,300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.) में पांच वर्ष सेवा की है। प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा : (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या सरकारी अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या संगठनों या सांविधिक निकायों के ऐसे अधिकारी,- (i) जो मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400 – 112400 रु.) पूर्व पुनरीक्षित (वेतन बैंड -2 में 9,300 – 34,800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए में) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विहित अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय चयन समिति (प्रोन्नति या नियुक्ति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <p>(1) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो..... अध्यक्ष;</p> <p>(2) निदेशक / उप सचिव (ऊर्जा संरक्षण), विद्युत मंत्रालय सदस्य;</p> <p>(3) ऊर्जा अर्थशास्त्री, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. लेखाकार ।	2(2017)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ख' के समतुल्य अराजपत्रित ।	स्तर - 6 (35400 - 112400 रु.)	लागू नहीं होता ।	तीस वर्ष तक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों सहित सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री;</p> <p>(ii) कंप्यूटर का ज्ञान और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कुशलता; और</p> <p>(iii) सरकारी विभागों में या शैक्षिक संस्थाओं में या औद्योगिक संगठनों में नकदी और खातों या बजट काम में पांच वर्ष का अनुभव हो ।</p> <p>टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार के लेखा प्रक्रियाओं जैसे बजट तैयार करने, आहरण और संवितरण, प्राप्तियों और संदाय, सांविधिक वसूलियां, निधि, उनके लेखांकन और वित्तीय नियंत्रण, वार्षिक खातों को तैयार करने और अंतिम रूप देने का ज्ञान; और</p> <p>(ii) वाणिज्यिक खातों का अच्छा ज्ञान हो।</p>	लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन ।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन :</p> <p>(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या सरकारी अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के ऐसे अधिकारी,-</p> <p>(i) जो मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500 - 81100 रु.) (पूर्व पुनरीक्षित वेतन बैंड-2 में 9,300- 34,800 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए) के पद में दस वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विहित अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और कम-से-कम तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अधिकारी व्यूरो में आमेलन के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होगा।</p>	<p>विभागीय चयन समिति (नियुक्ति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <p>(1) सचिव, ऊर्जा दक्षता व्यूरो..... अध्यक्ष;</p> <p>(2) निदेशक / उप सचिव (ऊर्जा संरक्षण), विद्युत मंत्रालय सदस्य;</p> <p>(3) वित्त और लेखा अधिकारी, ऊर्जा दक्षता व्यूरो सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. आशुलिपिक	9(2017)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ख' के समतुल्य अराजपत्रित।	स्तर - 6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष तक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों सहित सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और

					स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक :</p> <p>(i) 10 + 2 या सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो;</p> <p>(ii) आशुलिपि की गति अस्सी शब्द प्रति मिनट की हो;</p> <p>(iii) टंकण की गति चालीस शब्द प्रति मिनट की हो;</p> <p>(iv) कम्प्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कुशलता; और</p> <p>(v) आशुलिपि के साथ-साथ कम्प्यूटर पर सीधे श्रुतलेख लेने में सक्षम होना चाहिए।</p> <p>टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p>	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है या आमेलन।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन :</p> <p>(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या सरकारी अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अधिमानतः ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा प्रबंधन या ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा लेखा परीक्षा से संबंधित सरकारी संगठनों में कार्य करने वाले ऐसे अधिकारी,-</p> <p>(i) जो मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500 – 81100 रु.) (पूर्व पुनरीक्षित वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए में) में दस वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विहित अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए</p>	<p>विभागीय चयन समिति (नियुक्ति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <p>(1) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो..... अध्यक्ष;</p> <p>(2) सहायक ऊर्जा अर्थशास्त्री नंबर 1, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सदस्य;</p> <p>(3) अवर सचिव (ऊर्जा संरक्षण), विद्युत मंत्रालय सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और कम-से-कम तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अधिकारी ब्यूरो में आमेलन के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होगा।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. ड्राइवर।	1 (2017) * * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ग' के समतुल्य।	स्तर -2 (19900- 63200 रु.)	लागू नहीं होता।	अठारह और पच्चीस वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों सहित सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्षों तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, लाहौल एवं स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पंगी उपखंड, और अंदमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो; (ii) कम से कम तीन वर्षों के लिए मोटर कार ड्राइविंग का अनुभव; और (iii) 10वीं कक्षा पास। वांछनीय : होमगार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन या सीधी भर्ती द्वारा)।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन :</p> <p>(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या सरकारी अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने :</p> <p>(i) मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और</p> <p>(ii) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतियुक्ति या अल्पकालिक संविदा की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और कम से कम तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अधिकारी ब्यूरो में आमेलन के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होगा।</p>	<p>विभागीय चयन समिति (नियुक्ति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <p>(1) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो..... अध्यक्ष;</p> <p>(2) अवर सचिव (ऊर्जा संरक्षण), विद्युत मंत्रालय..... सदस्य;</p> <p>(3) वित्त एवं लेखा अधिकारी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सदस्य ।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।</p>

प्ररूप ।

[नियम 6 का उपनियम (2) देखें]

वैवाहिक घोषणा

(ब्यूरो में सेवा में नियुक्त किए गए नए कार्मिकों से अभिप्राप्त करने के लिए)

1. श्री / श्रीमती / कुमारी निम्नानुसार घोषणा करते/करती हैं -

- * (i) कि मैं अविवाहित / एक विधुर / एक विधवा हूँ
- * (ii) कि मैं विवाहित हूँ और केवल एक ही पति / पत्नी के साथ रहते हैं।
- * (iii) कि मैंने एक जीवित जीवनसाथी के साथ रहने वाले व्यक्ति के साथ विवाह किया है या इसकी संविदा की है। इससे छूट प्रदान करने का आवेदन संलग्न है।
- * (iv) कि मैंने अपने जीवनसाथी के जीवनकाल के दौरान एक अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया या इसकी संविदा की है। इससे छूट प्रदान करने का आवेदन संलग्न है।

2. मैं शपथपूर्वक पुष्टि करता/करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा सत्य है और मुझे पता है कि मेरी नियुक्ति के बाद उपरोक्त घोषणा को गलत पाए जाने पर मुझे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

तारीख.....

हस्ताक्षर

(नाम)

* कृपया उसे काट दें, जो लागू नहीं है।

प्ररूप II

[नियम 7 के उपनियम (1) का खण्ड (ख) देखें]

आरोग्य चिकित्सा प्रमाण-पत्र

(अस्पताल/डॉक्टर के क्लिनिक के लेटरहेड पर)

"मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने श्री / श्रीमती / कुमारी जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय में नियुक्ति के प्रत्याशी हैं और उन्हें कोई रोग (संचारी या अन्यथा), संरचनात्मक कमजोरी या शारीरिक दुर्बलता नहीं है सिवाएँ मैं नहीं मानता कि यह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के कार्यालय में उनकी नियुक्ति के लिए एक अयोग्य हैं।

पंजीकृत (पुरुष या महिला)
चिकित्सा अधिकारी

स्थान :

तारीख :

पंजीकरण संख्या
मुहर

प्ररूप III

[नियम 7 के उपनियम (1) का खण्ड (ग) देखें]

अभ्यर्थी का विवरण और घोषणा

अभ्यर्थी को अपनी चिकित्सा जांच करने से पहले नीचे दिए गए आवश्यक विवरण भरना चाहिए और इस के साथ संलग्न घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए। उन्हें विशेष रूप से नीचे दी गई टिप्पणी में निहित चेतावनी के निर्देश पर ध्यान देना चाहिए -

1. अपना पूरा नाम बताएं (स्पष्ट अक्षरों में)
2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं
3. (क) क्या आपको कभी चेचक, आंतरायिक/ किसी अन्य प्रकार का बुखार, वृद्धि या ग्रंथियों से मवाद आना, मुंह से रक्त आना, अस्थमा, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग, या बेहोशी के दौरों, गठिया, पथरी हुआ है?

या

(ख) किसी अन्य बीमारी या दुर्घटना में आवश्यकता

होने पर बिस्तर पर रहे और चिकित्सा या सर्जिकल इलाज कराया है

4. आपको पिछले टीके कब लगाए गए?
5. क्या आपको या आपके किसी निकटतम संबंधियों को कभी शराब के सेवन, कंठमाला, गठिया, दमा, स्वस्थ, मिर्गी हुई है?

6. क्या आपको कभी बहुत अधिक काम या किसी अन्य कारण से घबराहट हुई?
7. क्या पिछले तीन वर्षों के अंदर आपकी एक चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा सरकारी सेवा के लिए जांच की गई और स्वस्थ घोषित किया?
8. अपने परिवार के विषय में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें :-

पिता की आयु बताएं, यदि वे जीवित हैं और उनके स्वास्थ्य की स्थिति बताएं	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	जीवित भाइयों की संख्या, उनकी आयु और स्वास्थ्य की स्थिति:	मृत भाइयों की संख्या, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु के कारण
---	---	--	--

मां की आयु बताएं, यदि वे जीवित हैं और उनके स्वास्थ्य की स्थिति बताएं	मृत्यु के समय मां की आयु और मृत्यु का कारण	जीवित बहनों की सं., उनकी आयु और स्वास्थ्य की स्थिति:	मृत बहनों की सं., मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु के कारण
--	--	--	--

मैं घोषणा करता हूँ कि सभी उपरोक्त विवरण मेरे विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं।
मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने किसी भी बीमारी या अन्य हालत के कारण विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं लिया है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मेरी मौजूदगी में हस्ताक्षर किए
स्थान :
दिनांक :

मुहर के साथ चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पण : यदि अभ्यर्थी जानबूझकर अपनी नियुक्ति के संबंध में तथ्यात्मक सूचना को छिपाता है तो उसकी सेवाएं किसी भी समय उसकी सेवाकाल के दौरान समाप्त कर दी जाएंगी।

प्ररूप IV

[नियम 7 के उपनियम (1) का खण्ड (घ) देखें]

(निष्ठा की शपथ)

"मैं , (नाम), शपथ लेता/लेती हूँ /निष्ठापूर्वक पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं भारत की निष्ठा और भारत के संविधान के प्रति वफादार रहूंगा/रहूंगी, जो विधि द्वारा स्थापित है और मैं भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा/रखूंगी और मैं अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन वफादारी, ईमानदारी से, और निष्पक्षता के साथ करूंगा/करूंगी। इसलिए भगवान मेरी मदद करें।"

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

[फा. सं.13/2/2007-ई.सी.]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2017

G.S.R.1125(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 read with clause (d) of sub-section (2) of section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the posts of officers and other employees of the Bureau of Energy Efficiency, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Bureau of Energy Efficiency (Recruitment, Appointment and Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Appointing Authority.— Subject to the overall control of the Bureau,—

(a) every appointment to the post in the Bureau equivalent to Group `A` and Group `B` posts under the Central Government other than those specified in sub-sections (1) and (2) of section 9 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) shall be made by the Director-General of the Bureau; and

(b) every appointment to the post in the Bureau equivalent to Group `C` posts under the Central Government shall be made by the Secretary of the Bureau.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Initial constitution.— (1) Every employee of the Bureau appointed before the commencement of these rules shall, on and from the date of commencement of these rules, be deemed to have been appointed under the provisions of these rules to the same post as he was holding immediately before such commencement for the purpose of seniority, promotion and other terms and conditions of the service:

Provided that, the employees of the erstwhile Energy Management Centre may opt to be governed by the terms and conditions of service specified in the bye-laws of the centre, unless they opt to be governed by these rules:

Provided further that, the option once exercised shall be final.

(2) Any person appointed to a post in the Bureau on deputation basis, including short term contract, on completion of a period of not less than five years, may be considered, subject to his suitability having been assessed on the basis of his annual performance appraisal report by the Departmental Selection Committee, for absorption in the said post, and following such absorption, he shall be taken to have been appointed to the same post on regular basis with effect from the date he was initially appointed on deputation or short term contract basis, after having followed due process of selection, as the case may be.

6. Disqualification.— (1) No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that, the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

(2) Every person appointed under these rules, shall give a declaration in Form I before appointment in the Bureau.

7. Procedure for appointment.- (1) No person shall be appointed to a post in the Bureau, unless he –

- (a) is a citizen of India or belongs to such category of persons as may be eligible for appointment under the Central Government;
- (b) produces a certificate of medical fitness in Form II from a registered medical practitioner possessing a medical qualification equivalent to Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery included in one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) for appointment in the Bureau by direct recruitment;
- (c) submits a statement in Form III and signs the declaration, in the presence of the medical officer or medical practitioner at the time of medical examination :

Provided that, no certificate of medical fitness shall be necessary if a candidate is employed or likely to be employed in a temporary capacity for a period not exceeding three months; and

- (d) takes an oath of allegiance in Form IV.

(2) The appointing authority shall satisfy itself that the character and antecedents of a candidate selected for first appointment in the Bureau are such that they do not render such candidate unsuitable for appointment under the Central Government.

8. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

9. Advertisement of vacancies.- (1) All appointments to the posts in the Bureau shall be made after due advertisement in the employment news and national dailies.

(2) The last date for submitting applications for the posts under these rules shall be as specified in the advertisement.

10. Forms and conditions for application.-The Bureau shall specify in the advertisement the form in which applications shall be submitted, the documents and certificates and the mode of their submission and the designated officer for submission of applications.

11. Processing of application.-The respective screening committee constituted by the Director-General of the Bureau, shall consider the applications received and may shortlist candidates, based on the requirements of the job for further processing.

12. Mode of selection.-The selection committee shall recommend the candidates, on the basis of written test or interview or both, as the case may be, for finalising the selection of the shortlisted candidates.

13. Seniority.- The seniority among the employees shall be in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time.

14. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Bureau, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Energy Economist re-designated	10 (2017)*	Equivalent to Group 'A' in the Central	Level -13.	Selection.	Up to fifty years. (Relaxable for Government servants,

as Director.	*Subject variation dependent work load.	to on	Government, Non – Ministerial, Technical, Non – Gazetted.	(Rs.118500 – 214100)		including departmental candidates up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of the state of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
--------------	---	-------	---	----------------------	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Master degree from a recognised University in Physics or Chemistry or Energy Planning and Economics; or Bachelor degree in Engineering from a recognised University;</p> <p>(ii) five years' experience in Group 'A' post in Level 12 (Rs.78800 – 209200) of Pay Matrix (pre-revised in the pay band 3; Rs.15600-39100 with grade pay of Rs. 7600);or</p> <p>(iii) ten years' experience in Group 'A' post in Level 11 (Rs.67700 – 208700) of Pay Matrix (pre-revised in the pay band 3; Rs.15600-39100 with grade pay of Rs. 6600) or equivalent in Government Departments; or</p> <p>(iv) at least fifteen years' of post qualification experience in Research Institutes, Government Departments or</p>	<p>Age – No;</p> <p>Educational Qualification – Yes.</p>	<p>One year for direct recruits.</p>	<p>By promotion failing which by deputation including short-term contract or direct recruitment.</p>

<p>Public Sector Undertakings, or autonomous body or any statutory body or any industrial or development or design organisation dealing with formulation or implementation of policies or programmes relating to -</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) efficient use of energy and its conservation; (b) strengthening of energy auditing or energy management capabilities; (c) bench marking of energy consumption in industrial or commercial organisation; (d) standard and labeling programme for appliances or equipment; (e) development or promotion of or working with energy service companies; (f) innovative financial mechanism for adoption of energy efficiency in industrial or commercial establishment or organisations. <p>Note.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidate otherwise well qualified.</p> <p>Desirable:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Doctorate degree in Economics or Energy Planning and Economics from a recognised University; or <p>Master degree in Engineering or Business Management/Administration or Industrial or System Management from a recognised University;</p> <ul style="list-style-type: none"> (ii) possessing a certificate as energy manager or energy auditor or accreditation as accredited energy auditor based on the National Examination under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001); (iii) over all perspective of national energy problems and policies of the Government in the field of energy and for promotion of energy efficiency and its conservation in the country. 			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation including short-term contract, grades from which promotion or deputation including short-term contract is to be made	Composition of Departmental Section Committee, if any	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Officers of the Grade of Joint Director in the Bureau with five	Departmental Selection Committee (for considering promotion or appointment) consisting of-	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

<p>years service in Level 12 (Rs.78800 – 209200) of Pay Matrix (pre-revised grade pay of Rs. 7600) rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract)/absorption:</p> <p>(a) Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Government Research Institute or Public Sector Undertakings or Government organisations or statutory bodies,-</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; or</p> <p>(ii) having five years' regular service in posts in the Level 12 (Rs.78800 – 209200) of Pay Matrix (pre-revised Pay band 3; Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.7600); or</p> <p>(iii) ten years' regular service in the Level 11 (Rs.67700 – 208700) of Pay Matrix (pre-revised Pay band 3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.6600); and</p> <p>(b) having the experience and educational qualifications specified for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation</p>	<p>(1) Director-General, Bureau of Energy Efficiency.....Chairperson;</p> <p>(2) Joint Secretary (Energy Conservation), Ministry of Power.....Member;</p> <p>(3) Vice-Chancellor, The Energy and Resources Institute University, New Delhi.....Member.</p>	
--	--	--

shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 3.- The period of deputation or short term contract normally shall not exceed five years and on the satisfactory completion not less than three years, the officer shall be eligible to be considered for absorption in the Bureau.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Asstt. Energy Economist re-designated as Joint Director.	7 (2017)* *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'A' in the Central Government, Non – Ministerial, Technical, Non – Gazetted.	Level -12. (Rs.78800 – 209200)	Not applicable.	Up to fifty years. (Relaxable for Government servants including departmental candidates up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of the state of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master degree from a recognised University in Physics or Chemistry or Energy Planning and Economics; or Bachelor degree in Engineering from a recognised University; (ii) having five years' experience in Group 'A' post in the Level 11 (Rs.67700 – 208700) of Pay Matrix (pre-revised pay band 3; Rs.15600–39100 with grade pay of Rs.	Not applicable.	One year for direct recruits.	By direct recruitment or deputation (including short-term contract) or absorption.

<p>6600) or</p> <p>(iii) having ten years' experience in Group 'A' post in the Level 10 (Rs.56100 – 177500) of Pay Matrix (pre-revised pay band 3; Rs.15600–39100 with grade pay of Rs. 5400) or equivalent in Government Departments, or</p> <p>(iv) having ten years' of post qualification experience in Research Institutes, Government Departments or Public Sector Undertakings, or autonomous body or any statutory body or any Industrial or development or design organization dealing with formulation or implementation of policies or programmes relating to -</p> <p>(a) efficient use of energy and its conservation;</p> <p>(b) strengthening of energy auditing or energy management capabilities;</p> <p>(c) bench marking of energy consumption in industrial or commercial organisation;</p> <p>(d) standard and labeling programmes for appliances or equipment;</p> <p>(e) development or promotion of or working with energy service companies;</p> <p>(f) innovative financial mechanism for adoption of energy efficiency in industrial or commercial establishment or organisations.</p> <p>Note.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidate otherwise well qualified.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Master's degree in Engineering or Business Management/Administration or Industrial or System Management from a recognised University;</p> <p>(ii) possessing a certificate as energy manager or energy auditor or accreditation as accredited energy auditor based on the National Examination under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);</p> <p>(iii) research experience of two years in the field of energy efficiency or energy conservation or energy management in the recognised Research Institutes, Public Sector Undertakings or autonomous or statutory body or any industrial or development organisation or research publications of high standard in such fields published in journals; or/and</p> <p>(iv) overall perspective of national energy problems and policies of the Government in</p>			
---	--	--	--

the field of energy and for promotion of energy efficiency and its conservation in the country.			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including Short- term contract) /absorption:</p> <p>(a) Officers of Central Government or State Government or Union territories or Universities or Government Research Institute or Public Sector Undertakings or Government organizations or statutory bodies,-</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre, or</p> <p>(ii) having five years regular service in the post in the Level 11 (Rs.67700 – 208700) of Pay Matrix (pre-revised pay band 3 - Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.6600); and</p> <p>(b) possessing the experience and educational qualifications specified for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2:- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: The period of deputation or short term contract normally shall not exceed five years and on the satisfactory completion of not less than three years, the officer shall be eligible to be considered for absorption in the Bureau.</p>	<p>Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of-</p> <p>(1) Director-General, Bureau of Energy Efficiency.....Chairperson;</p> <p>(2) Joint Secretary (Energy Conservation), Ministry of PowerMember;</p> <p>(3) Vice-Chancellor, The Energy and Resources Institute University, New Delhi.....Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Public Relation or Media Manager.	1 (2017)* * Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'A' in the Central Government, Non – Ministerial, Technical, Non – Gazetted.	Level 11. (Rs.67700 – 208700)	Not applicable.	Up to forty years. (Relaxable for Government servants including departmental candidates up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

					<p>Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of the state Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>1. Degree or Post Graduate Diploma in Mass Communication or related field;</p> <p>2. Five years of experience in handling Public Relations or Media in a reputed organisation.</p> <p>Note.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidate otherwise well qualified.</p>	Not applicable.	One year for direct recruits.	By deputation (including short term contract) or absorption or direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short term contract)/absorption:</p> <p>(a) Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Government Research Institutes or Public Sector Undertakings or autonomous organisations or statutory bodies;</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; or</p> <p>(ii) having five years' regular service in the Level 10 (Rs.56100 – 177500) of Pay Matrix (pre-revised pay band 3- Rs.15600-39100 with grade pay of Rs. 5400) ; or</p> <p>(iii) having six years' regular service in the post in the Level 9 (Rs.53100 – 167800) of Pay Matrix</p>	<p>Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of-</p> <p>(1) Director-General, Bureau of Energy Efficiency.....Chairperson;</p> <p>(2) Director (Energy Conservation), Ministry of Power.....Member;</p> <p>(3) Director, Press Information BureauMember;</p> <p>(4) Secretary, Bureau of Energy Efficiency.....Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>(pre-revised pay band 2- Rs. 9,300 – 34,800 with grade pay of Rs. 5400), and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3.- The period of deputation or short-term contract normally shall not exceed five years and on the satisfactory completion not less than three years, the officer shall be eligible to be considered for absorption in the Bureau.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Senior Private Secretary.	1 (2017)* * Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'B' in the Central Government, Non – Gazetted.	Level – 8. (Rs.47600 – 151100) (Level – 9 (Rs.53100 – 167800) after four years of regular service)	Not applicable.	Up to thirty years. (Relaxable for Government servants including departmental candidates up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of the state of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bachelor degree from a recognised University or equivalent; 2. Speed in shorthand- one hundred and twenty words per minute; 3. Speed in typewriting- sixty words per minute; 4. Computer literate and proficient in Microsoft Office; 5. Experience in managing the personal office of officers; 6. Knowledge of office procedures, file keeping, record management and maintaining confidential papers; 7. Scheduling of appointments and familiarity with travel scheduling; 8. Good interpersonal skills, ability in attending the visitors; 9. Must have capability in functioning as a team; and 10. Having six years experience as Personal Assistant or Private Secretary in Central Government or State Government Department or Institution or organisation. <p>Note.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidate otherwise well qualified.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation including short-term contract or direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Officer holding the post Private Secretary in the Bureau with two years of service in the Level 7 (Rs.44900 – 142400) of Pay Matrix (pre-revised grade pay of Rs. 4600) rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Deputation (including short term contract):</p> <p>(a) Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Universities or Government Research Institutes or Public Sector Undertakings or organisations or statutory bodies,-</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; or</p>	<p>Departmental Selection Committee (for considering promotion or appointment) consisting of -</p> <p>(1) Director-General, Bureau of Energy Efficiency.....Chairperson;</p> <p>(2) Director (Energy Conservation), Ministry of Power.....Member;</p> <p>(3) Secretary, Bureau of Energy Efficiency.....Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>(ii) having six years' regular service in the post in the Level 6 (Rs.35400 – 112400) of Pay Matrix (pre-revised pay band 2; Rs.9,300 – 34,800 with grade pay of Rs. 4200); or</p> <p>(iii) having two years' service in Level 7 (Rs.44900 – 142400) of Pay Matrix (pre-revised Grade Pay of Rs. 4600) rendered after appointment thereto on a regular basis; and</p> <p>(b) having the experience, as prescribed for direct recruitment under column (7).</p> <p>Note 1.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3.- The period of deputation or short-term contract normally shall not exceed five years and on the expiry of the said period, he shall revert to his parent cadre.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Finance and Accounts Officer.	1 (2017)* *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' in the Central Government, Non – Gazetted.	Level – 7. (Rs.44900 – 142400)	Not applicable.	Up to thirty years. (Relaxable for Government servants including departmental candidates up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of the state of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh.

					Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelor degree in Commerce from a recognised University;</p> <p>(ii) proficiency in computer or accounting software; and</p> <p>(iii) having five years' experience in cash and budget work in a supervisory capacity.</p> <p>Note:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidate otherwise well qualified.</p> <p>Desirable:</p> <p>(iv) Master in Business Administration with Finance or Cost and Works Accountant or Subordinate Accounts Service Accountant with Graduate Degree;</p> <p>(v) having knowledge of Central Government rules and regulations;</p> <p>(iii) having knowledge of Central Government accounting procedures, such as procedure for preparation of budget, drawing and disbursement, receipts and payment, statutory recoveries, their accounting and having sound knowledge of commercial accounts.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation including short-term contract or direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion :</p> <p>Officer holding the post of Accountant in the Bureau with five years of service in the Level 6 (Rs.35400 – 112400) of Pay Matrix (pre-revised Pay band 2 Rs.9300-Rs.34800 with grade pay of Rs. 4200) rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Deputation (including short term contract):</p> <p>(a) Officers of the Central or State Governments or Union territories or Universities or Research Institutes or Public Sector Undertakings or organisations preferably dealing with energy efficiency or energy management or energy conservations or energy auditing,-</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre, or</p> <p>(ii) having five years' regular service in</p>	<p>Departmental Selection Committee (for considering promotion or appointment) consisting of-</p> <p>(1) Secretary, Bureau of Energy Efficiency.....Chairperson;</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary (Finance), Ministry of Power.....Member;</p> <p>(3) Under Secretary, (Energy Conservation, Ministry of Power. Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>the post in the Level 6 (Rs.35400 – 112400) of Pay Matrix (pre-revised pay band 2- Rs.9300-Rs.34800 with grade pay of Rs. 4200).</p> <p>(b) having experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Private Secretary.	1 (2017)* *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' in the Central Government, Non –Gazetted.	Level – 7. (Rs.44900 – 142400)	Not applicable.	Up to thirty years. (Relaxable for Government servants including departmental candidates up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelor degree from a recognised University;</p> <p>(ii) speed in shorthand- one hundred and twenty words per minute;</p> <p>(iii) speed in typewriting- sixty words per minute;</p> <p>(iv) proficiency in Computer and Microsoft Office;</p> <p>(v) having knowledge of office procedures, file keeping, record management and maintaining confidential papers;</p> <p>(vi) fixing of appointments and familiarity with travel scheduling;</p> <p>(vii) good interpersonal skills, ability in attending the visitors; and</p> <p>(viii) must have capability of functioning as a team.</p> <p>Note.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidate otherwise well qualified.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation including short-term contract or direct recruitment.

Desirable: Three years' experience as Personal Assistant or Secretary to senior officers in Central Government or State Government or Institutions or organisations.			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Officers holding the post of Stenographer in the Bureau having five years service in the Level 6 (Rs.35400 – 112400) of Pay Matrix (pre-revised Pay band 2 Rs.9300 – Rs.34800 with grade pay of Rs. 4200) rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Deputation/Short-term Contract:</p> <p>(a) Officers of Central Government or State Government or Union territories or Universities or Government Research Institutes or Public Sector Undertakings or organisations, or statutory bodies,-</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; or</p> <p>(ii) having five years of regular service in the posts in the Level 6 (Rs.35400 – 112400) of Pay Matrix (pre-revised pay band 2, Rs.9300-Rs.34,800 with grade pay of Rs. 4200); and</p> <p>(b) having experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Departmental Selection Committee (for considering promotion or appointment) consisting of-</p> <p>(1)Secretary, Bureau of Energy Efficiency.....Chairperson;</p> <p>(2) Director/Deputy Secretary (Energy Conservation),Ministry of PowerMember;</p> <p>3.Energy Economist, Bureau of Energy EfficiencyMember.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Accountant.	2(2017)* *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' in the Central Government, Non-Gazetted.	Level – 6. (Rs.35400 – 112400)	Not applicable.	Up to thirty years. (Relaxable for Government servants including departmental candidates up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note.- The crucial date

					for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of the state of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelor degree from a recognized University;</p> <p>(ii) computer literate and proficient in Microsoft Office; and</p> <p>(iii) having five years' experience in cash and accounts or budget work in Government Departments or in Academic Institutions or Industrial organizations.</p> <p>Note.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidate otherwise well qualified.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Must have knowledge of Central Government accounting procedure such as procedural details for budget, drawing and disbursement, receipts and payment, statutory recoveries, funds, their accounting and financial control, preparation and finalization of annual accounts; and</p> <p>(ii) having sound knowledge of commercial accounts.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By direct recruitment or deputation (including short term contract) or absorption.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation including short term contract/absorption:</p> <p>(a) Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Universities or Government research institutes or Public Sector Undertakings, -</p> <p>(i) holding analogous post on regular</p>	<p>Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of-</p> <p>(1) Secretary, Bureau of Energy Efficiency.....Chairperson;</p> <p>(2) Director/Deputy Secretary (Energy Conservation),</p> <p>Ministry of PowerMember;</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>basis in the parent cadre; or</p> <p>(ii) having ten years' regular service in the post in the Level 4 (Rs.25500 – 81100) of Pay Matrix (pre-revised pay band 2 , Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.2400); and</p> <p>(b) having experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding his appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3.- The period of deputation or short-term contract normally shall not exceed five years and on the satisfactory completion not less than three years, the officer shall be eligible to be considered for absorption in the Bureau.</p>	<p>(3) Finance and Accounts Officer, Bureau of Energy Efficiency.....Member.</p>	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Stenographer.	9(2017)* *Subject to variation dependent on work load	Equivalent to Group 'B' in the Central Government, Non –Gazetted.	Level – 6. (Rs.35400 – 112400)	Not applicable.	Up to thirty years. (Relax able for Government servants including departmental candidates up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of the state of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) should have passed 10+2 or Senior Secondary School Examination;</p> <p>(ii) having speed in shorthand of eighty words per minutes;</p> <p>(iii) having speed in typing of forty words per minute;</p> <p>(iv) proficient in Computer and Microsoft office; and</p> <p>(v) must be capable of taking dictation directly on computer as well as in shorthand.</p> <p>Note.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidate otherwise well qualified.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By direct recruitment or deputation including short term contract or absorption.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short term contract) or absorption:</p> <p>(a) Officers of Central Government or State Government or Union Territories or Universities or Government research institutes or Public Sector Undertakings or Government Organisations preferably dealing with energy efficiency or energy management or energy conservations or energy auditing,-</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; or</p> <p>(ii) having ten years' regular service in the post in the Level 4 (Rs.25500 – 81100) of Pay Matrix (pre-revised pay band-1, Rs.5200- Rs.20200 with grade pay of Rs. 2400); and</p> <p>(b) having experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding his appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3.- The period of deputation or short term contract normally shall not exceed five years and on the satisfactory completion not less than three years, the</p>	<p>Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of -</p> <p>(1) Secretary, Bureau of energy Efficiency.....Chairperson;</p> <p>(2) Assistant Energy Economist No. 1, Bureau of Energy Efficiency.....Member;</p> <p>(3) Under Secretary (Energy Conservation), Ministry of Power.....Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.</p>

officer shall be eligible to be considered for absorption in the Bureau.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Driver.	1 (2017) * *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'C' post in the Central Government.	Level -2. (Rs.19900 – 63200)	Not applicable.	Between eighteen and twenty five years. (Relaxable for Government servants including departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of the state of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) possessing a valid driving license for motor cars; (ii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iii) Pass in 10th standard. Desirable: Three years' service as Home Guard or Civil Volunteer.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By deputation (including short term contract) or absorption or direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract) or absorption: (a) Officers of Central Government or State Government or Union Territories or Universities or	Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of - (1) Secretary, Bureau of Energy Efficiency.....Chairperson;	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

<p>Government research institutes or Public Sector Undertakings;</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; and</p> <p>(ii) having experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3.- The period of deputation or short term contract normally shall not exceed five years and on the satisfactory completion not less than three years, the officer shall be eligible to be considered for absorption in the Bureau.</p>	<p>(2) Under Secretary (Energy Conservation), Ministry of Power.....Member;</p> <p>(3) Finance and Accounts Officer, Bureau of Energy Efficiency.....Member.</p>	
---	--	--

Form I

[See sub-rule (2) of rule 6]

Marital Declaration

(To be obtained from new entrants to Service in the Bureau)

(1) I, Shri/Smt./Kumari....., declare as under-

- * (i) That I am unmarried/a widower/a widow.
- * (ii) That I am married and have only one spouse living.
- * (iii) That I have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living. Application for grant of exemption is enclosed.
- * (iv) That I have entered into or contracted a marriage with another person during the lifetime of my spouse. Application for grant of exemption is enclosed.

(2) I solemnly affirm that the above declaration is true and I understand that in the event of the declaration being found to be incorrect after my appointment, I shall be liable to be dismissed from service.

Date.....

Signature.....

(Name)

*Please strike off, whichever is not applicable.

Form II

[See clause (b) of sub-rule (1) of rule 7]

Medical Certificate of Fitness

(On the letter head of the Hospital/Doctor's Clinic)

I, hereby certify that, I have examined Shri/Shrimati/Kumari.....a candidate for employment in the Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power and cannot discover thathas any disease (communicable or otherwise), constitutional weakness or bodily infirmity except.....I do not consider this a disqualification for employment in the office of the Bureau of Energy Efficiency.

Registered (Male or Female)

Medical Officer

Place:

Date:

Registration number

Seal

Form III

[See clause (c) of sub-rule (1) of rule 7]

Candidate's Statement and Declaration

The candidate must make the statement required below prior to his medical examination and must sign the declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below-

- (1) State your name in full (in block letters)
- (2) State your age and place of birth
- (3) (a) Have you ever had smallpox, intermittent/
any other fever, enlargement or suppuration of
glands, spitting of blood, asthma, heart disease,
lung disease, or fainting attacks, rheumatism,
appendicitis?
- or
- (b) Any other disease or accident requiring
confinement to bed and medical or surgical
treatment
- (4) When were you last vaccinated?
- (5) Have you or any of your near relations been
affected with consumption, scrofula, gout,
asthma, fits, epilepsy or insanity ?
- (6) Have you suffered from any form of
nervousness due to overwork or any other cause?.....

- (7) Have you been examined and declared fit for Government service by a Medical Officer/ Medical Board, within the last three years?.....
- (8) Furnish the following particulars concerning your family:-.

Father's age, if living and state health:	Father's age at death and cause of death:	Number of brothers living, their ages and state of health:	Number of brothers dead, their ages at death and cause of death:
---	---	--	--

Mother's age, if living and state of health:	Mother's age at death and cause of death:	Number of sisters living, their ages and state of health:	Number of sisters dead, their ages at death and cause of death:
--	---	---	---

I, declare that all the above details, to the best of my belief, are true and correct.

I, also solemnly affirm that, I have not received disability certificate on account of any disease or other condition.

Candidate's Signature.....

Signed in my presence.

Place:

Date:

Signature of Medical Officer with stamp

Note.- If a candidate suppresses willfully the material information relating to his appointment, his services shall be terminated at any time during his service.

Form IV

[See clause (d) of sub-rule (1) of rule 7]

Oath of Allegiance

I,(name), do swear/solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will carry out the duties of my office loyally, honestly, and with impartiality. So Help me God.

Candidate's Signature.....

[F. No.13/2/2007-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor